NAI DUNIYA, Delhi, 9.3.2018
Page No. 9, Size:(17.03)cms X (7.95)cms.

किसी भी राशन की दुकान से अनाज खरीद सकेंगे उपभोक्ता

चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, आधार से जुड़ने के बाद आसान हुई खरीदी

नई दिल्ली। ब्यूरो

उपभोक्ता अब किसी भी राशन की रियायती दुकान से अनाज खरीद सकते हैं। इस बदलाव से सबसे ज्यादा लाभ प्रवासी मजदूरों को होगा जो रोजी-रोटी के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं। आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद उपभोक्ताओं को राशन प्रणाली के तहत कहीं से भी राशन लेना आसान हो जाएगा।

केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। राज्यों के खाद्य आयोग के अध्यक्षों की पहली बैठक में पासवान ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी हो जाने से बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता अपने हिस्से का अनाज किसी भी राशन की उचित दुकान से खरीद सकेगा।

राशन प्रणाली के तहत यह प्रावधान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में पहले से ही चल रहा है। पासवान ने कहा कि देश भर से 82 फीसद राशन कार्ड आधार से जुड़ गये हैं। इसके लिए पौने तीन करोड़ दुकानों पर प्वाइंट आफ सेल यानी स्वाइप मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। इससे राशन प्रणाली को संचालित करने में काफी सुविधा हो रही है।

राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ते समय देशभर में कुल 2.75 करोड़ से अधिक अवैध व नकली नामों पर बने राशन कार्ड पकड़े गये। इससे सालाना 17500 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी की सीधी बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त धनराशि का लाभ नये उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।

पासवान ने राज्य खाद्य आयोग का गठन न करने वाले राज्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वहां जल्दी ही आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए ऐसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग को पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाए ताकि वे उपभोक्ताओं के हित में फैसला ले सकें। केंद्रीय मंत्री से देश के 20 राज्यों के खाद्य आयोग के अध्यक्षों से बातचीत में कहा कि उनकी ओर से हर तरह का सहयोग मिलेगा।